APP-A
crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — माण्डल

उदयलाल उर्फ भैंकलाल — बनाम — तहसीलदार माण्डल

किस्म मुकदमा — प्रा. पत्र — नं. 682 — सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-12-14	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्राप्त हुआ, दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन / नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 8.1.15 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
8-1-15	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 26.2.2015 को पेश हो। [signature] रीडर	
26.2.15	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी की तामील होकर प्राप्त नहीं तलवाना सम्मन नोटिस पेश कर। पत्रावली दिनांक 23.4.15 को पेश हो। [signature]	
23.4.15	वकील वादी उपस्थित। पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28.8.15 को पेश हो। [signature]	
13.7.15	पत्रावली बहमुकाम लोक अदालत कैम्प माण्डल पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R Act पेश कर अनुतोष चाहा है कि उसके स्वामित्व की हाल आ.नं. 1269 रकबा 0 बीघा (11) विस्वा एवं 1304 रकबा (4 विस्वा) व 3693/1439 रकबा 0 बीघा की वर्तमान राजस्व नक्शे में गत नक्शे के मुकाबले तरमीम गलत कर दी गई है। अतः उसे दुरुस्त की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	... अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मामले में पेशकार सरकार का जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा हाल व साबिका नकलें भी पेश हुई। प्रतिवादी के जवाब एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों के अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि विगत नक्शे में तरमीम की आवृत्ति व वर्तमान नक्शे की आवृत्ति में किस प्रकार का अन्तर है; प्रस्तुत साबिका नक्शे भी कार्यवाही आराजियात अनुसार अस्पष्ट एवं अपूर्ण हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल	